सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 अग्रहायण, 1946 (श०)

संख्या - 760 राँची, बुधवार, 27 नवम्बर, 2024 (ई०)

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

14 दिसम्बर, 2023

परिशिष्ट- "छ"

संचिका सं०-01/स्था० (विविध)-05-04/2012...6780--भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदŸk शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड भू-गर्भ जल सेवा के गठन, नियुक्ति, प्रोन्नति, वेतन एवं अन्य सेवा शŸkk आदि के संबंध में निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

झारखण्ड भू-गर्भ जल सेवा नियमावली 2023

अध्याय-01

प्रारम्भिकी

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ:-

(i) यह नियमावली "झारखण्ड भू-गर्भ जल सेवा नियमावली] 2023" कही जायेगी ।

(ii) यह झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में प्रभावी होगी ।

2. **परिभाषाएँ:-**

इस नियमावली में जब तक कोई बात] विषय या प्रसंग में अन्यथा खासकर वर्णित न हो]

(i) राज्य से अभिप्रेत है] झारखण्ड राज्य

(ii) संवर्ग से अभिप्रेत है **"झारखण्ड भू-गर्भ जल सेवा संवर्ग"**

(iii) नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत है झारखण्ड के राज्यपाल

(iv) 'आयोग' से अभिप्रेत है झारखण्ड लोक सेवा आयोग]

(v) 'समिति' से अभिप्रेत है इस नियमावली के अंतर्गत गठित विभागीय प्रोन्नति समिति ।

(vi) 'निदेशालय' से अभिप्रेत है भू-गर्भ जल निदेशालय ।

(vii) 'राज्यपाल' से अभिप्रेत है झारखण्ड के राज्यपाल]

(viii) 'अनुसूची' से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची ।

(ix) 'विभाग' से अभिप्रेत है जल संसाधन विभाग ।

(x) 'राज्य सरकार' से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार ।

(xi) कार्मिक] प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से अभिप्रेत है कार्मिक] प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग] झारखण्ड सरकार ।

अध्याय-02

3. सेवा का गठन %&

3.1 यह सेवा झारखण्ड भू-गर्भ जल सेवा के रूप में जानी जायेगी तथा इस संवर्ग में कार्यरत सभी पदाधिकारी इसके सदस्य होंगें।

3.2 यह सेवा अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव] जल संसाधन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत होगी] जिसके विभागाध्यक्ष निदेशक] भू-गर्भ जल निदेशालय होंगे तथा तकनीकी नियंत्रण अभियंता प्रमुख&II (प्रभारी लघु सिंचाई प्रक्षेत्र) का होगा ।

3.3 इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से अध्याय-03 में वर्णित पदों पर नियुक्त एवं कार्यरत पदाधिकारी स्वतः इस सेवा में शामिल समझे जायेंगे ।

3.4 भूगर्भ शास्त्री/ भूभौतिकी शास्त्री/ भूगर्भ जलवेत्ता का कुल 05 नए पद सृजित किये गये है जिसपर प्रशासी पदवर्ग समिति तथा मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है। भूगर्भ शास्त्री/भूभौतिकी शास्त्री/ भूगर्भ जलवेत्ता का कुल 05 पद झारखण्ड राज्य गठन के पूर्व से सृजित है। इस प्रकार] भूगर्भ शास्त्री/ भूभौतिकी शास्त्री/ भूगर्भ जलवेत्ता का कुल 10 स्वीकृत बल है ।

अध्याय-03

4- संवर्ग का गठन

4-1 **मूल वेतनमान् का पदः** भू-गर्भ शास्त्री/ जलवेत्ता/भू-भौतिकी शास्त्री/रसायन शास्त्री/रसायन विश्लेषक का वेतनमान्

वेतनमानः-47600&151100 लेवल-8

क्रमांक	पदनाम	पदस्थापन
1-	भू-गर्भ शास्त्री/ भू-गर्भ जलवेत्ता/ भू-भौतिकी शास्त्री	क्षेत्रीय/मुख्यालय स्तर
2-	रसायन शास्त्री/रसायण विषलेशक	मुख्यालय स्तर

4-2 **उप निदेशक का वेतनमान:-**

वेतनमानः-67700&208700 लेवल-11

क्रमांक	पदनाम	पदस्थापन
1-	उप निदेशक	क्षेत्रीय/मुख्यालय स्तर

4-3 **निदेशक का वेतनमान**ः-

वेतनमान:-123100&215900 लेवल-13

क्रमांक	पदनाम	पदस्थापन
1-	निदेशक	मुख्यालय स्तर

अध्याय-04

भर्त्ती

5- **भर्त्ती के स्रोत**ः-यदि अन्यथा उपबंधित न हो इस सेवा में निम्न स्रोतों से भर्ती की जायेगी:-

¼i½ नियमावली के अध्याय-05 के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा]

¼ii½ नियमावली के अध्याय-06 के अनुसार प्रोन्नति द्वारा।

6- **आरक्षणः-** नियुक्ति एवं प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित आरक्षण प्रावधान लागू होंगे।

7- **आयोग के लिये रिक्तियों के निर्धारण तथा उसे अधिसूचित करने के संबंध में:-**

विभाग प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष में 1 जनवरी को उसी वर्ष में सीधी भर्ती तथा प्रोन्नति से भरे जाने वाली रिक्तियों की संख्या निर्धारित करेगा] जिसके आधार पर सीधी भर्ती हेतु अधियाचना गठित कर आयोग को भेजी जायेगी ।

अध्याय-05

सीधी भर्ती

8- **उम्र सीमा**:-(i) सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार को] अधियाचना वर्ष की 1ली अगस्त को कम से कम 22 वर्ष का होना चाहिए ।

(ii) अधिकतम उम्‌र सीमा कार्मिक] प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग] झारखण्ड राची के द्‌वारा समय-समय पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा के अनुरूप होगा ।

9- **शैक्षणिक अहŸkk**:-

कोई व्यक्ति नियुक्ति का पात्र तभी होगा जब वह विभिन्न पदों के लिए निम्नरूपेण अहŸkk धारण करता हो:-

¼i½ भू-गर्भ शास्त्री:-

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्‌यालय से भू-गर्भशास्त्र में स्नाŸkकोŸkर (न्यूनतम द्‌वितीय श्रेणी) या एप्लायड भू-गर्भ शास्त्र में द्‌वितीय श्रेणी से स्नातकोŸkर ।

¼ii½ भू-भौतिक शास्त्री:-

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्‌यालय से भू-भौतिक शास्त्र ¼Geo Physics) में न्यूनतम द्‌वितीय श्रेणी से स्नातकोŸkर ¼M.Sc½ या एप्लायड भू-भौतिक शास्त्र ¼Applied Geophysics½ में न्यूनतम द्‌वितीय श्रेणी से स्नातकोŸkर ।

¼iii½ भू-गर्भजलवेत्ता:-किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्‌यालय से भू-गर्भ शास्त्र में न्यूनतम द्‌वितीय श्रेणी में स्नातकोŸkर ¼M.Sc½ अथवा *एप्लायड जियोलाजी* में न्यूनतम द्‌वितीय श्रेणी में स्नातकोŸkर अथवा भू-गर्भ जल विज्ञान में न्यूनतम द्‌वितीय श्रेणी से स्नातकोŸkर अथवा *एप्लायड भू-गर्भ जल विज्ञान* में न्यूनतम द्‌वितीय श्रेणी से स्नातकोŸkर ।

¼iv½ रसायन शास्त्री/रासायन विश्लेषक:-

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्‌यालय से रसायन शास्त्र में न्यूनतम द्‌वितीय श्रेणी में स्नातकोŸkर ¼M.Sc½ ।

10- **सीधी भर्ती की प्रक्रिया**:-

आयोग प्रतियोगिता परीक्षा से जल संसाधन विभाग] झारखण्ड सरकार द्‌वारा अधियाचित रिक्तियों को इस तरह से विज्ञापित करेगा कि अभ्यर्थी द्‌वारा प्राप्त आवेदन] सेवा में नियुक्ति के नियम-6 से 9 के अंतर्गत योग्य हो ।

11- आयोग द्‌वारा प्राप्त सभी अहर्त्ता पूर्ण करने वाले आवेदनों पर विचार किया जायेगा तथा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगी। परीक्षा का स्वरूप द्‌विस्तरीय होगा जिसमें लिखित परीक्षा यथा मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार लिया जायेगा। मुख्य परीक्षा के प्रश्नों की प्रकृति विषयनिष्ठ होगी ।

¼i½ परीक्षा हेतु आवेदनों की संख्या अत्यधिक होने पर स्क्रीनिंग टेस्ट लेने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा ।

¼ii½ परीक्षा के विषय विभिन्न शाखाओं के पदों के लिए निम्नलिखित होगें:-

¼क) **भू-गर्भ शास्त्री/भू-गर्भ जलवेत्ता/भू-भौतिकी शास्त्री:-**

परीक्षा पत्र	विषय	परीक्षा का समय	पूर्णांक
I	स्नातकोŸkर स्तर का भू-गर्भ शास्त्र/भू-भौतिकी/जल विज्ञान	2 घंटा	100
II	भू-जल नीति तथा संबंधित अधिनियम, नियमावली, विनियमन आदि जो भारत में विद्यमान है।	2 घंटा	100
III	सामान्य ज्ञान तथा लोक एवं समाज कल्याण	2 घंटा	50
	कम्प्युटर का प्रारंभिक ज्ञान		50
IV	सामान्य अंगेजी	2 घंटा	50
	सामान्य हिन्दी		50

A - कंडिका-11¼क)- III एवं IV के विषय में अहŸkkक 30% है जो अनिवार्य है। इनके अंक लिखित परीक्षा में नहीं जोड़े जायेंगे] केवल कंडिका-11¼क)- I एवं II के विषय में प्राप्तांक के आधार पर सामान्य मेधा सूची तैयार की जायेगी ।

ख) **रसायन शास्त्री/रसायन विश्लेषक**:-

परीक्षा पत्र	विषय	परीक्षा का समय	पूर्णांक
I	स्नातकोŸkर स्तर का रसायन-शास्त्र	2 घंटा	200
II	सामान्य ज्ञान तथा लोक एवं समाज कल्याण	2 घंटा	50
	कम्प्युटर का प्रारंभिक ज्ञान		50
III	सामान्य अंगेजी	2 घंटा	50
	सामान्य हिन्दी		50

B - कंडिका-11(ख)- II एवं III के विषय में अहŸkkक 30% है जो अनिवार्य है। इनके अंक लिखित परीक्षा में नहीं जोडे जाएँगे । कंडिका-11(ख)- I के विषय में प्राप्तांक के आधार पर सामान्य मेधा सूची तैयार की जायेगी ।

(ग) कंडिका-11(ii) (क) एवं (ख) के परीक्षा पत्र का पाठ्यक्रम स्पष्ट एवं विस्तृत रूप से एनेक्सर-1 में उल्लेखित है ।

(घ) मुख्य परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु सभी कोटियों के लिए कंडिका-11(क) I एवं II तथा 11 (ख) I में पत्रवार न्यूनतम अहर्त्तांक, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के संकल्प सं॰-13026 दिनांक 27.11.2012 एवं समय-समय पर उक्त संकल्प में किए जाने वाले संशोधन प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित किया जायेगा ।

(च) अन्तर्वीक्षा (साक्षात्कार) के लिए जgk लागू हो, लिखित परीक्षा के समरूप न्यूनतम अहŸkkक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(छ) नियम-11(ii)(क)- IV एवं 11 (ii) (ख)- III में वर्णित सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिन्दी का पाठ्यक्रम मैट्रिकुलेशन स्तर के होंगे ।

(ज) आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर सामान्य मेधा सूची तैयार की जायेगी और कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के 03 गुणा अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के लिए किया जायेगा ।

12. **आयोग द्वारा अनुशंसा**:-

(i) आयोग लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार/ अंतर्वीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेधा सूची से उम्मीदवारों की ऐसी संख्या की अनुशंसा करेगा, जैसी कि विभाग द्वारा अधियाचना की गई हो ।

¼ii½ दो या दो से अधिक उम्मीदवारों को बराबर अंक प्राप्त होने की स्थिति में मेधा सूची में उम्मीदवारों के उम्र के आधार पर अधिमानतादी जायेगी अर्थात् कम उम्र के उम्मीदवार की तुलना में अधिक उम्र के उम्मीदवार को मेधा सूची में उपर के स्थान पर रखा जायेगा।

¼iii½ उपर्युक्त कार्रवाई के बाद भर्त्ती हेतु अपेक्षित] कार्रवाई सक्षम नियुक्ति प्राधिकार द्वारा की जायेगी। किसी उम्मीदवार या उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अन्दर योगदान नहीं देने या अन्य कारणों से रिक्तियाँ भरी नहीं जा सकने की स्थिति में ऐसी रिक्तियाँ अगली अधियाचना के लिए अग्रणीत की जायेगी ।

13- **चिकित्सा संबंधी परीक्षण:-**

प्रत्येक उम्मीदवार] जिसका नियुक्ति हेतु चयन किया गया हो, को नियुक्ति के समय असैनिक शल्य चिकित्सक/मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना होगा ।

अध्याय- 06

संवर्गीय प्रोन्नति

14- **प्रोन्नति**:- इस नियम के अधीन प्रोन्नति का आधार वरीयता-सह-योग्यता होगी। सेवा के बेसिक xM के पद से ऊपर के सभी पदों यथा उप निदेशक एवं निदेशक को सेवा के सदस्यों से प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा ।

¼i½ **अर्हक सेवा:-**भूगर्भ शास्त्री/ भूगर्भ जलवेता/ भू भौतिकी/ रसायण शास्त्री/ रसायन विश्लेषक (Level-08) के पद से उप निदेशक ¼Level&11½ के पद पर प्रोन्नति हेतु कालावधि 06 वर्ष होगी। साथ ही] सेवा संतोषप्रद होनी चाहिए। उक्त बेसिक ग्रेड के पदों पर नियुक्ति हेतु

आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा की कोटिवार सूची के आधार पर निर्मित वरीयता सूची से उप निदेशक के पद पर प्रोन्नति प्रदान की जायेगी।

उप निदेशक ¼Level&11½ से निदेशक ¼Level&13½ के पद पर प्रोन्नति हेतु कालावधि 10 वर्ष होगी। साथ ही] उनकी सेवा संतोषप्रद होनी चाहिए।

¼ii½ रसायनशास्त्री का पद एकल पद है] जिसके लिए रसायनशास्त्र में स्नातकोत्तर की अहÙkk निर्धारित की गयी है।

भूगर्भ शास्त्री एवं अन्य मूल कोटि के कर्मियों की आपसी वरीयता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित वरीयता क्रमानुसार एवं कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत संकल्प/अनुदेश/परिपत्र में निहित प्रावधानों के आलोक में की जायेगी।

¼iii½ बेसिक ग्रेड से उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु कोई पदाधिकारी तब तक अर्हक नहीं होगा जबतक वह निर्धारित विभागीय परीक्षा उÙkh.kZ नहीं हो एवं आवश्यक प्रशिक्षण पूरा नहीं किया हो तथा सेवा संपुष्ट न हों।

¼iv½ संवर्गीय प्रोन्नति हेतु जनजातीय भाषा की परीक्षा में उÙkh.kZता आवश्यक होगी।

¼v½ **विभागीय प्रोन्नति समिति**:-

¼ क) उप निदेशक का पद भू-गर्भ जल सेवा के पदाधिकारियों से प्रोन्नति के द्वारा कार्मिक] प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर समकक्ष पदों हेतु निर्गत दिशा निदेश के तहत् विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन कर उनके अनुशंसा के आलोक में भरा जायेगा।

¼ख) निदेशक का पद भू-गर्भ जल सेवा के उप निदेशक स्तर के पदाधिकारी से प्रोन्नति के द्वारा कार्मिक] प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर समकक्ष पदों हेतु निर्गत दिशा निदेश के तहत् विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन कर उनके अनुशंसा के आलोक में भरा जायेगा।

¼ ग) भू-गर्भ जल सेवा में सुयोग्य एवं अनुभवी पदाधिकारियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उप निदेशक/ निदेशक का पद अस्थायी रूप से जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता/ अधीक्षण अभियंता अथवा अन्य राज्य सेवा या केन्द्रीय सेवा के पदाधिकारी जिन्हें जल विज्ञान में आवश्यक योग्यता (अधिसूचना की कंडिका-9 में अंकित) एवं भू-गर्भ जल सर्वेक्षण/रेनवाटर हारवेस्टिंग के क्षेत्र में आवश्यक योग्यता (अधिसूचना की कंडिका-9 में अंकित) प्राप्त हों] से भरा जा सकेगा।

¼ घ) विभिन्न पदों पर प्रोन्नति हेतु अहर्ताएँ:-

¼1½ झारखण्ड भू-गर्भ जल सेवा में उप निदेशक के पद पर प्रोन्नति हेतु अहर्ताएँ:-

¼i½ झारखण्ड भू-गर्भ जल सेवा के **बेसिक ग्रेड** के पदाधिकारी।

¼ii½ झारखण्ड भू-गर्भ जल सेवा के **बेसिक ग्रेड** में नियुक्ति हेतु निर्धारित अहर्ताओं के अतिरिक्त भू-गर्भ जल सर्वेक्षण/रेनवाटर हार्वेस्टिंग के क्षेत्र में कम से कम छः वर्षो का अनुभव।

¼2½ झारखण्ड भू-गर्भ जल सेवा में निदेशक के पद पर प्रोन्नति हेतु अहर्ताएँ:-

¼i½ झारखण्ड भू-गर्भ जल सेवा के उप निदेशक स्तर के योग्य पदाधिकारी।

¼ii½ संवर्ग में प्रोन्नति हेतु उच्चतर ** ग्रेड पे** की निर्धारित अनुमान्य कलावधि पूर्ण हो।

¼iii½ भू-गर्भ जल विज्ञान ¼Hydrogeology½ में स्नातकोत्तर उपाधि अतिरिक्त विशिष्ट योग्यता मानी जायेगी।

¼vi½ प्रोन्नति के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित आरक्षण नियम/रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।

¼vii½ संवर्गीय उच्चतर पदों पर प्रोन्नति फीडर ग्रेड एवं निम्नतर पदों पर बिताये गये कालावधि के अनुरूप प्रदान किया जायेगा।

¼viii½ संवर्गीय उच्चतर पदों पर प्रोन्नति हेतु कालावधि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत संकल्प के अनुरूप निर्धारित होगा।

15- **वेतन**:- विभिन्न कोटि के पदों के लिये वही वेतनमान् होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जायगा या उसके अनुरूप पुनरीक्षित वेतनमान् समय-समय पर घोषित किया जायेगा।

16- **वेतनवृद्धि**:- वेतनवृद्धि हेतु विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

अध्याय- 07

विभागीय परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम

17- भाग- **I** (सामान्य नियमावली):- पूर्णांक-100

¼i½ झारखण्ड यात्रा भत्ता नियमावली।

¼ii½ झारखण्ड राज्य सरकार सेवा आचार नियमावली।

¼iii½ झारखण्ड कोषागार संहिता भाग-। तथा ॥ ।

¼iv½ झारखण्ड सेवा संहिता।

¼v½ झारखण्ड पेंशन नियमावली।

¼vi½ झारखण्ड भविष्य निधि नियमावली।

¼vii½ झारखण्ड वित्त नियमावली भाग-। एवं ॥ ।

¼viii½ हिन्दी।

भाग-II (भू-गर्भ जल से संबंधित उपस्कर] अधिनियम एवं नियमावली) पूर्णाक-100

¼i½ भू-गर्भ जल से संबंधित उपस्कर] अधिनियम एवं नियमावली।

लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ एवं लघु उत्तर प्रकार के प्रश्न रहेंगे। परीक्षा की अवधि 02 ¼दो) घंटा होगी। न्यूनतम 60¼साठ) अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी परीक्षा में उत्तीर्ण समझे जा;गे।

अध्याय-08

सम्पुष्टि

18- **परीक्ष्यमान:-**

¼i½ मूल कोटि के रिक्त पदों पर सेवा में सीधे भŸkh किए गए पदाधिकारी दो वर्षो तक परिक्ष्यमान रहेंगे ।

¼ii½ परिवीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं रहने की स्थिति में ऐसी अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा] जिसके उपरांत सेवा असंतोषप्रद रहने की स्थिति में ऐसे पदाधिकारी की सेवा समाप्त करने हेतु समुचित निर्णय लिया जाएगा।

19- **सम्पुष्टि:-**

¼i½ परिवीक्ष्यमान कर्मी को उसके पद पर स्थायी पद उपलब्ध रहने पर सम्पुष्ट किया जाएगा ।

¼क) विहित परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक सम्पन्न की हो ।

¼ख) विहित विभागीय परीक्षाएँ उत्तीर्ण एवं आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त हो जाए। विभागीय परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम वही होगा] जो अध्याय-07 में विहित है ।

¼ग) सरकार संतुष्ट हो जाए कि वह सम्पुष्टि के लिए सर्वथा योग्य है।

¼ii½ सेवा सम्पुष्ट होने के पश्चात् परीक्ष्यमान अवधि सम्पूर्ण सेवा अवधि में सम्मिलित की जायेगी ।

20- **प्रशिक्षणः**-इस सेवा के सदस्य को राज्य के भीतर अथवा बाहर ऐसी अवधि के लिये प्रशिक्षण पूरा करना होगा] जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय ।

अध्याय-09

21- **क्षेत्र के कार्य के संबंध में**:-

राज्य सरकार को इस सेवा के किसी सदस्य को पदस्थापित करने या उसकी वरीयता के अनुरूप गैर संवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति करने की शक्ति निहित होगी जो आवश्यकता आधारित होगा एवं विशेष परिस्थिति में विभागीय हित में किया जायेगा।

22- **सेवा की अन्य शर्तें**:- इस सेवा के संबंध में सेवा की लागू अन्य शर्तें यथा अनुशासनिक कार्रवाई, छुट्टी, सेवानिवृति लाभों इत्यादि जो इस नियमावली द्वारा आच्छादित नहीं है, राज्य सरकार के कर्मियों तथा पदाधिकारियों के लिये कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा निर्गत संगत नियमावलियों, अनुदेशों एवं संगत निर्णयों द्वारा शासित होंगी।

23- **कठिनाईयों का निराकरणः**- इस नियमावली के क्रियान्वित करने में होने वाली कठिनाई/कठिनाईयों का निराकरण जल संसाधन विभाग द्वारा राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा किया जाएगा ।

24- **निरसन एवं व्यावृत्ति-** भू-गर्भ शास्त्री, भू-भौतिकी शास्त्री, भू-गर्भ जलवेत्ता, रसायन शास्त्री, रसायन विश्लेषक, उप निदेशक और निदेशक के पदों के लिए इस विषय से संबंधित प्रचलित नियम/ संकल्प/ अनुदेश आदि निरसित समझे जायेंगे। ऐसे निरसन के होते हुए भी उल्लिखित आदेश द्वारा या उसके अधीन शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा इसके अधीन प्रदत शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रशांत कुमार,
सचिव,
जल संसाधन विभाग,
झारखण्ड राँची ।

परिशिष्ट- "ज"

WATER RESOURCES DEPARTMENT

NOTIFICATION

14th December, 2023

Memo no.-01/Estt. (Misc)-05-04/2012--In exercise of powers conferred by the provison to Article 309 of "The Constitution of India", the Governor of Jharkhand is hereby pleased to make the following rules to regulate the mode of recruitment and conditions of service, pay, allowance and promotion of the persons appointed to the Jharkhand Ground Water Service.

JHARKHAND GROUND WATER SERVICES RULES, 2023

CHAPTER - I

GENERAL

1. **Short title and commencement:**-

 (i) These Rules may be called the **"Jharkhand Ground Water Services Rules, 2023"**

 (ii) This will come in to force from the date of Publication of this notification in the official Gazette of Jharkhand and be effective in whole of Jharkhand State.

2. **Definitions**:-

 In these rules, unless there is anything repugnant to the subject,

 (i) State means the Jharkhand State.

 (ii) 'Cadre' means the Jharkhand Ground Water Services Cadre.

 (iii) Appointing Authourity means Governor of Jharkhand.

 (iv) 'Commission' means the Jharkhand Public Service Commission.

 (v) 'Committee' means the Departmental Promotion Committee constituted under this rule.

 (vi) 'Directorate' means the Directorate of Ground Water.

 (vii) 'Governor' means the Governor of Jharkhand.

 (viii) 'Schedule' means a Schedule appended to these Rules.

 (xi) 'Department' means Water Resources Department.

 (x) 'State Government' means the Government of Jharkhand.

 (xi) Personnel, Administrative Reform and Rajbhasha Department means Personnel, Administrative Reform and Rajbhasha Department, Government of Jharkhand.

CHAPTER - II

3. **Constitution of the Services :-**

3.1 This Service shall be known as Jharkhand Ground Water Service and officers working in this cadre shall be member of the service.

3.2 This cadre shall be under the administrative control of Aditional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary, Water Resources Department. The Director, Ground Water Directorate shall be the Head of the Department for this cadre and will be under the technical control of Engineer-in-Chief-II (In-charge of Minor Irrigation Sector).

3.3 The officer appointed and working prior to the enforcement of these Rules shall be deemed to be automatically included in this Service.

3.4 Total 05 new posts of Geologist/ Geophysicist/ Hydrogeologist/ have been created, which is approved by the Prashashi Padwarg Committee and by the Cabinet. Total 05 posts of Geologist/ Geophysicist/ Hydrogeologist were created before the creation of the Jharkhand state. Hence total nos. of posts of Geologist/ Geophysicist/ Hydrogeologist is 10.

CHAPTER - III

4. COMPOSITION OF THE CADRE

4.1 **Pay scale of basic grade posts**: - Geologist/ Hydrogeologist/ Geophysicist/ Chemist/ Chemical Analyst,
Pay Scale: - 47600-151100, Level-8

Sl. No	Designation	Place of Posting
1.	Geologist/Hydrogeologist/Geophysicist	Field/ Headquarter level
2.	Chemist/ Chemical Analyst	Headquarter level

4.2 **Pay Scale of Deputy Directors: -**
Pay Scale: - 67700-208700, Level-11

Sl. No	Designation	Place of Posting
1.	Deputy Director	Field/ Headquarter level

4.3 **Pay Scale of Director: -**
Pay Scale: - 123100-215900, Level-13

Sl. No	Designation	Place of Posting
1.	Director	Headquarter Level

CHAPTER - IV

RECRUITMENT

5. **Sources of recruitment: -** Save as otherwise provided recruitment to the service shall be made:-
   (i) By direct recruitment in accordance with chapter-V of the rules,
   (ii) By promotion in accordance with the rules prescribed in chapter-VI of the rules.

6. **RESERVATION**:-
   The provision of reservation as prescribed time to time by the State Government, shall be applicable in appointment and promotions.

7. **Determination of vacancies and notified the same to the commission**:-
   In every calendar year, with reference to the 1st day of January, the department shall determine the number of vacancies to be filled up in that year by direct **recruitment** and by promotion, and the vacancies so determined, requisition for direct appointment shall be sent to the Commission.

CHAPTER - V

DIRECT RECRUITMENT

8. **Age Limit**: - (i) The minimum age limit shall be 22 years as on the 1st August of the year in which the application for direct recruitment is invited.
   (ii) The maximum age limit will be in accordance with the maximum age limit for direct recruitment as determined by the Personnel, Administrative Reforms and Rajbhasha Department from time to time.

9. **TECHNICAL QUALIFICATION: -** No Person shall be appointed in the various posts of the service unless he/she holds the qualification as prescribed below:-
   (i) **Geologist**: - Minimum 2nd Class M.Sc. Degree in Geology or Applied Geology from a recognised University.
   (ii) **Geo-Physicist**: - Minimum 2nd Class M.Sc Degree in Geo-physics or Applied Geo-Physics from a recognised University.
   (iii) **Hydro-geologist: -** Minimum 2nd Class M.Sc. Degree in Geology or Applied Geology or Hydrology or Applied Hydrology from a recognised University.
   (iv) **Chemist/Chemical Analyst** : - Minimum 2nd Class M.Sc. Degree in Chemistry from any recognised University.

10. **Procedure for direct Recruitment:-**
   The commission shall advertise the number of vacancies to be filled up by direct recruitment in the service as requisitioned by Department of Water Resources, Government of Jharkhand

in such manner as they deem fit and shall receive applications from candidates eligible under rule- 6 to 9 for the appointment to the service.

11. The Commission shall consider all applications received and shall arrange for a written examination. The examination will consist of two stages such as written examination ie main examination followed by an interview. The nature of questions of main examination will be subjective.

(i) Commission is free to organize screening test to short list applications, if number of applicantions is much more.

(ii) Examination paper for posts of different branches will be as in following table:

(A) **<u>Geologist/ Hydro-geologist/ Geophysicist :-</u>**

Paper	Subject	Examination Time	Full Marks
I	Post Graduate level in Geology/Geo Physics/ Hydrology	2 Hours	100
II	Ground Water Policy & Related Acts Rules Regulation etc as Existing in India	2 Hours	100
III	General Knowledge and Public & Social welfare	2 Hours	50
	Basic knowledge of computer		50
IV	General English	2 Hours	50
	General Hindi		50

(a) The Minimum Qualifying marks for the subjects of para 11(A) III and IV is 30% which is must. Its marks will not be added in written examination. The general merit list will be prepared on the basis of marks obtained only in the subjects of para 11 (A) I and II.

(B) Chemist/ Chemical Analyst: -

Paper	Subject	Examination Time	Full Marks
I	Post Graduate level in Chemistry	2 Hours	200
II	General Knowledge and Public & Social welfare	2 Hours	50
	Basic knowledge of computer		50
III	General English	2 Hours	50
	General Hindi		50

(b) The Minimum Qualifying marks for the subjects of para 11(B) II and III is 30% which is must. Its marks will not be added in written examination. The general merit list will be prepared on the basis of marks obtained only in the subjects of para 11(B) I.

(c) The Syllabus of the Examination Paper for para 11-(ii) (A) and (B) is clearly and elaborately mentioned in annexure – 1.

(d) The Minimum qualifying marks in para 11(A)I,II and 11(B)I for main examination will be decided according to provisions mentioned in resolution No. 13026 dated 27.11.2012 of Personal, Administrative reforms and Rajbhasha Department and will be modified time to time as amendment will be made in that resolution.

(e) Where interview will be applicable, obtaining the minimum qualifying marks will be mandatory like written examination.

(f) The syllabus for General English and General Hindi paper mentioned in Rule – 11(ii) (A)- IV and 11(ii)(B)- III shall be of Matriculation level.

(g) The commission shall prepare a General merit list on the basis of marks obtained in the written examination, and on the basis of number of category wise vacancies, three times candidates of each category shall be selected for interview.

12. **RECOMMENDATION BY THE COMMISSION**:-

(i) The Commission shall prepare a merit list on the basis of marks obtained in written examination/ interview. From the merit list so prepared the Commission shall recommend such number of candidates as requisitioned by the Department.

(ii) In case equal marks being obtained by two or more candidates weightage in the merit list will be given on the basis of the age of the candidate i.e. the candidate of higher age will be placed higher in the merit list as compared to the candidates of lower age.

(iii) After above action the required activity for recruitment will by done by appointment authority. If due to non joining of any candidate or candidates within the prescribed timeline or by any other reason the vacancy not filled up then in that case the vacancy so created will be carried forword for next requisition.

13. **MEDICAL EXAMINATION:** - Every candidate selected for appointment shall have to produce a Medical certificate issued by Civil Sergeon /Chief Medical officer at the time of appointment.

CHAPTER - VI

CADRE PROMOTION

14. **PROMOTION**: - Promotion under this Rule shall be strictly as per seniority-cum- eligibility basis. All posts above the basic grade of the Service such as Deputy Director and Director shall be filled up by promotion from the members of the Service.

(i) **Qualifying service**: - Minimum qualifying service (Kalawdhi) period for promotoion to the post of Deputy Director (Level-11) from the post of Geologist/ Hydro-

geologist/ Geophysicist/ Chemist/ Chemical Analyst (Level-8) will be 06 years. Also the service should be satisfactory. The promotion to the post of Deputy Director will be given as per category wise merit/gradation list prepared on the basis of entrance examination conducted for the appointment in the basic grade posts.

Minimum qualifying service (Kalawdhi) period for promotoion to the post of Director (Level-13) from the post of Deputy Director (Level-11) will be 10 years. Also the service should be satisfactory.

(ii) Chemist post is single, for which post graduation in chemistry is the eligibility qualification.

Inter seniority of Geologist and other basic cadre employee will be based on gradation determined by the public service commission and provision made in the Resolution/ order /Circular issued by the Personnel Administrative Reforms and Rajbhasha Department .

(iii) No candidate shall be eligible for promotion from the basic grade to the higher grade, unless he/she has passed prescribed Departmental Examination, and has completed the mandatory training and has been confirmed in service.

(iv) For cadre promotion it will be mandatory to pass prescribed Tribal Language examination.

(v) **Departmental Promotion Committee**:-

(a) The post of Deputy Director shall be filled up by promotion among the officers of Jharkhand Ground Water Service on recommendation of Departmental Promotion Committee duly constituted as per the guidelines of Deptt. of Personnel Administrative Reform and Rajbhasha, Govt. of Jharkhand for the equivalent post from time to time for this purpose.

(b) The post of Director will be filled by the officers of Deputy Director Rank of Ground Water Services on recommendation of Departmental Promotion Committee duly constituted as per the guidelines of Deptt. of Personnel Administrative Reform and Rajbhasha, Govt. of Jharkhand for the equivalent post from time to time for this purpose.

(c) In case suitable and experienced officers of Jharkhand Ground Water Service being not available, the post of Deputy Director/ Director may temporarily be filled up by the Executive Engineer/Superitending Engineer of the Water Resources Department or others State/ Central Govt. Services officer having requisite qualification of Hydrology (as mentioned in point 9 of the notification) and requisite experience in the field of Ground Water Investigation/ Rain Water Harvesting (as mentioned in point 9 of the notification).

(d) Eligibility criteria for promotion to different posts is described below:-

1. Eligibility criterias for promotion to the post of Deputy Director in the Jharkhand Ground Water service: -

(i) Basic Grade officer in the Jharkhand Ground Water Service.

(ii) In addition to the requisite qualification for the appointment on the basic grade post at least six years of experience in the field of Ground Water Investigation/ Rain Water Harvesting.

2. Eligibility criterias for promotion to the post of Director in the Jharkhand Ground Water service: -

(i) Eligible officer of the rank of deputy director in Jharkhand Ground Water Service.

(ii) Requisite qualifying Period (Kalawadhi) for the higher grade Pay must be completed for the Promotion in the cadre.

(iii) Post graduate in Hydrogeology will be considered as Additional Special qualification.

(vi) The rules of reservation/ roster as determined by the State Government for promotion shall essentially be complied.

(vii) Promotion to the higher cader post will be provied in accordance with feeder grade and length of period spent on the lower post.

(viii) For Promotion to Higher posts of the Cader, Qualifying time Period will be detarmined in accourdance with the Resolutions issued by the personnel, Administrative Reforms and Rajbhasha Department from time to time.

15. **Pay :-** Pay Scales of various categories of post shall be the same as prescribed by the state Government of their corresponding revised scales announced by the Government from time to time.

16. **Increment: -** For increment it will be mandatory to pass all the departmental examinations.

CHAPTER - VII

SYLLABUS FOR DEPARTMENTAL EXAMINATION

17. **Part -1 (General Rules)** Full marks- 100

(i) Jharkhand Travelling allowance Rules
(ii) Jharkhand State Service conduct Rules
(iii) Jharkhand Treasury code part I & II
(iv) Jharkhand Service Code
(v) Jharkhand Pension Rules
(vi) Jharkhand Provident Fund Rules
(vii) Jharkhand Finance Rules Part I & II
(viii) Hindi

Part- II (Tools and Plants, Act & Rules Related to Ground Water) Full marks - 100

(i) Tools and Plants, Act & Rules Related to Ground Water.

The written examination shall comprise of objective type and short answer type question. Duration of the examination will be 2(two) Hours. Candidates obtaining minimum 60(sixty) marks will be deemed to have passed in the examination.

CHAPTER-VIII

CONFIRMATION

18. **PROBATION:-**

(i) Every officer appointed directly against a substantive vacancy in the basic grade, shall remain on probation for a period of two years.

(ii) In case of unstisfactory services during the Probation Period such Periond Shall be extended for further one year, thereafter if the Services is still unstisfactory proper decision will be taken for the termination of services .

19. **CONFIRMATION: -**

(i) A probationer will be confirmed on his post provided there is a permanent post and

(a) He has completed the prescribed period of probation.

(b) He has passed the prescribed departmental examination and completed required training. The Syllabus for Departmental Examination will be as per CHAPTER-VII.

(c) The Goverment is satisfied that he is fit for confirmation.

(ii) After confirmation of the service, probation period will be treated as complete service.

20. **TRAINING**: - The member of this service shall have to complete the training for such period within or outside the state, as may be prescribed by the State Government.

CHAPTER -IX

21. **Regarding area of work:-**

The State Government shall have the powers to post or depute any member of this service to any ex-cadre post in accordance with his/her seniority which will be need based and will be done in special Circumstances and in the interest of the Department.

22. **Other Conditions of Service**:-

Other conditions of Service applicable to this Service such as disciplinary action, leave, retirement benefits, etc. not covered by these Rules shall be governed by the relevant rules framed by Personnel, Administrative Reforms and Rajbhasha Department and Planning cum Finance Department for employees and official of the State Government.

21. **Removal of Difficulty:-**

The Difficulty/difficulties arising in the implementation of these Rules shall be resolved by the order of Water Resources Department notified in offical gazette.

22. **Repeal and Saving**:-

Prevailing rules/ resolutions/instructions for Geologist/Geophysicist/ Hydrologist/ Chemists/ Deputy Directors & Director posts shall be deemed to be repealed from the date of enforcement of these Rules. Notwithstanding such repeal, action already taken in pursuance of rules, instructions, resolutions issued earlier shall be deemed to be taken under these Rules.

By the Order of the Governor,

Prashant Kumar,
Secretary
Water Resources Department.

The English translation of Hindi notification is being published by the order of the Governor of Jharkhand, which will be treated as authorized version under clause-3 of article 346 of the Indian Constitution.

Prashant Kumar,

Secretary
Water Resources Department.

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 760 - 50